न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
14/दावा/2017	28.02.2017	06.11.2019

1. दिनेश कुमार आ0 स्वं0 प्रेमचंद जाति महाजन निवासी 140 दादा बाड़ी विस्तार योजना कोटा (राज0)
2. किशन कुमार आ0 स्वं0 प्रेमचंद जाति महाजन निवासी 140 दादा बाड़ी विस्तार योजना कोटा (राज0) जये मुख्तार आम दिनेश कुमार आ0 स्वं0 प्रेमचंद जाति महाजन निवासी 140 दादा बाड़ी विस्तार योजना कोटा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. रतनलाल
2. लक्ष्मणलाल
3. रामस्वरूप
4. मोहन

पिसरान नारायण जाति माली निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

5. दुर्गाशंकर आ0 नाथू लाल जाति माली निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. रामचरण आ0 नाथू लाल जाति माली निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. मुरली आ0 भंरवलाल जाति माली निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री कुलदीप सिंह गौड़
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री अखिलेश जैन

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 183 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि जमाबन्दी संवत् 2072–75 ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी की नई खाता सं0 225 पुराना 209 की कृषि भूमि खसरा सं0 459 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वादीगण के नाम खातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है।
2. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी के बाबत खातेदार किशन कुमार ने एक मुख्तार नामा वादी सं0 1 के पक्ष में इस बाबत निष्पादित किया हुआ है कि कृषि भूमि बाबत् कोई भी विवाद होने पर वकालत नामा पर हस्ताक्षर करने जवाब दावा प्रस्तुत करने शपथ–पत्र पेश करने व गवाही व न्यायालय से सम्बन्धित कार्यवाही करने हेतु नियुक्त किया हुआ है जिससे वादी दिनेश कुमार द्वारा उक्त वाद पत्र दोनो ही तरफ से हस्ताक्षरित है।
3. यह कि वाद में वर्णित आराजी पर वादीगण निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजी पर पूर्व में वादीगण के पिता स्वं0 नारायण व उसके पश्चात वादीगण काबिज काश्त रहे थे।
4. यह कि प्रतिवादीगण झगडालू व प्रभावशाली प्रवृति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण का वाद में वर्णित चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि से कोई संबंध में नहीं है और न ही वादीगण ने उक्त भूमि को कभी आधोली अथवा ज्वारा काश्त पर दी है। इस उपरान्त भी प्रतिवादीगण की मंशा उक्त कृषि भूमि पर ताकत के बल पर नाजायज कब्जा करने की रही है।
5. यह कि वर्तमान समय में ग्राम देहित में विस्थित कृषि भूमि की किमतों में भारी वृद्धि हुई है। वादीगण वर्तमान कुछ वर्षो से कोटा में निवास कर रहे है। वादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमियों के समय–समय पर जाकर संभालते रहे है।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

6. यह कि सितम्बर, 2015 में वादीगण पारिवारिक कार्यो कृषि भूमि की देखभाल करने व सार संभाल लेने नही जा सके इस प्रस्थिति का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने नाजयज रूप से लाभ उठाने की मंशा से वाद पत्र के चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर रेलना करके जबरन ताकत के बल पर गेहूँ की फसल की बुआई कर कब्जा कर लिया।
7. यह कि वादीगण जब अपने पारिवारिक कार्यो से समय निकालकर अक्टूबर 2015 के प्रथम सप्ताह में वाद में वर्णित कृषि भूमि को संभालने गये तो वादीगण की कृषि भूमि पर पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से पूछा की हमारी कृषि भूमि पर क्या कर रहे हो तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अब तुम्हारा इस भूमि से कोई संबंध नही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण वाद में वर्णित आराजी पर से कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादीगण गाली गलोच कर मारपीट पर आमादा हो गये और वादीगण को धमकी दी की। यदि वाद में वर्णित कृषि भूमि पर पैर रखा तो वादीगण को जान से खत्म कर देगे तथा कब्जा छोडने से मना कर दिया।
8. यह कि अन्तिम बार वादीगण द्वारा दिनांक 14.02.2017 को भी प्रतिवादीगण से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर से कब्जा हटाकर वादीगण को सुपुर्द करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण में पोश लफजो में मॉ बहिन की गाली निकाली और कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया और यही वाद कारण है।
9. प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमणकारी की हैसियत से काबिज है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वह वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि ख0सं0 459 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देहित पर से प्रतिवादी को बेदखल करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त करे तथा जब तक वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त नही हो जाता तब तक वादीगण प्रतिवादीगण से बतौर मुआवजा 10,000/– रूपये वार्षिक के हिसाब से प्राप्त करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावे–

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं0 459 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देहित पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा जब तक वादीगण को उक्त कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त नही हो जाता तब तक वादीगण को प्रतिवादीगण से बतौर मुआवजा 10,000/– रूपये वार्षिक के हिसाब से दिलाये जाने के आदेश व डिक्री पारित करें।
2. यह कि न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो व वादीगण को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में अंकित तथ्य स्वीकार है। च0सं0 2 में वर्णित मुख्तार नामा कानूनी वैघ नही है अस्वीकार है। च0सं0 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। विवाद विषयक आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नही है। विवादित जमीन प्रतिवादीगण के बरसों पहले से कब्जे में है जिसे वादी के पूर्वजों ने बेचान किया था। च0सं0 4 में वर्णित तथ्य काल्पनिक व झूंठे होने से अस्वीकार है। च0सं0 5 में वर्णित तथ्य काल्पनिक व निराधार होने से अस्वीकार है। च0सं0 6 में वर्णित तथ्य झूंठे होने के कारण अस्वीकार है। च0सं0 7 में वर्णित तथ्य बेबुनियाद व झूठे होने से अस्वीकार है। च0सं0 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है ऐसी कोई घटना नही हुई है। च0सं0 9 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। च0सं0 10 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। मौके पर कृषि भूमि नही है। उक्त कृषि भूमि पर बरसो से मकान व बाडे बने हुए है। च0सं0 11 अस्वीकार है। च0सं0 12 कानूनी है। वाद पत्र की सम्पूर्ण प्रार्थना अस्वीकार है। अन्य आक्षेप निम्नप्रकार है–

1. यह कि उक्त विवाद विषयक आराजी लगभग 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि 50–60 वर्ष पूर्व वादीगण के दादा स्व0 श्री नारायण लाल आ0 भोलू लाल जाति महाजन निवासी देहित ने सादा कागज पर बेचान की थी तभी से प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त आराजी में 50–60 वर्षो से खेती नही हुई है। बेचान का कागज कहीं गुमने से न्यायालय में पेश नही कर पा रहे है। देहित गांव में बुजुर्ग व्यक्तियों को बेचान का पता है। इसलिए पिछले 50–60 वर्षो से वादीगण का कोई हक व कब्जा नही रहा है। वादीगण की नियत में खोट आने के कारण उक्त कार्यवाही नही की है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

वादीगण 50-60 वर्षो से कोटा शहर में निवास करते है। भूमि बाबत ग्राम पंचायत देहित द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

2. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण के अनुसार भूमि ख0सं0 459 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देहित जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम देहित की आबादी भूमि में स्थित है और पंचायत के अधीन आती है। उक्त भूमि पर रामचरण, दुर्गाशंकर आ0 नाथू लाल, रमेशचन्द आ0 गणेश लाल, रतन लाल, लक्ष्मण, मोहन लाल, रामस्वरूप पिसरान कन्हैया लाल जाति माली निवासीगण देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी के बाडे व मकानात बने हुए है। उक्त भूमि पर सभी अलग-अलग मकान व बाडे बने हुए है, पत्थर डले हुए है, मिट्टी डली हुई है। कुछ बाडो में टीनशेड हो रहे है। उक्त भूमि पर खातेदारों का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर उपयोग-उपयोग उपरोक्त वर्णित व्यक्ति करते चले आ रहे है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करने का आदेश फरमावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रतिवादी को दिलवाने की कृपा करे।

साक्ष्य में वादीगण की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 188 ग्राम देहित संवत् 2056-59, नकल गिरदावरी ग्राम देहित संवत् 2060-63, आंशिक नकल नक्शा ट्रेस की प्रतियाँ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 188 ग्राम देहित संवत् 2056-59 में वादीगण अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है। विवादित कृषि भूमि वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि होने से वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि वादी रिकार्डड खातेदार है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडो को आदेशित किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 459 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देहित वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner